"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / .38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 मई 2014—ज्येष्ठ 1, शक 1936

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–47/2008/20–एक.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्कूलशिक्षा राजपत्रित सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (राजपत्रित) (स्कूल स्तरीय) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2014 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन तथा इसमें सम्मिलित है इन नियमों से संलग्न अनुसूची–एक के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

   (ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है अनुसूची–चार में यथाविनिर्दिष्ट पदोन्नति या चयन समिति;

   (घ) **"संचालक"** से अभिप्रेत है संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़;

   (ङ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(छ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ज) **"सीमित विभागीय परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित परीक्षा, जिसमें विभाग के अधीन शिक्षक एवं पंचायत तथा नगरीय निकायों के अधीन शिक्षा कर्मी के रूप में नियोजित व्यक्ति ही पात्र होंगे;

(झ) **"स्थानीय निवासी"** से अभिप्रेत है शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी;

(ञ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5–पच्चीस– 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग;

(ट) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ठ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ड) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ढ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (राजपत्रित) (स्कूल स्तरीय) सेवा;

(ण) **"शिक्षा कर्मी वर्ग–एक/व्याख्याता (पंचायत)/ व्याख्याता (नगरीय निकाय), शिक्षा कर्मी वर्ग–दो/शिक्षक (पंचायत)/शिक्षक (नगरीय निकाय) एवं शिक्षा कर्मी वर्ग–तीन/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय)"** से अभिप्रेत है जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के नियंत्रणाधीन स्कूलों में अध्यापन के लिये नियुक्त व्यक्ति;

(त) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार) अथवा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, आयोग/शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, आयोग/शासन से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन/सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

**(एक) आयु**– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन पर अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो,

कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण**— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण**— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(4) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

**टीप**– (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

**(दो) शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव.**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

**(तीन) फीस.**– (क) अभ्यर्थी को आयोग/संचालक द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास का, आयोग/संचालक द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग/संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग/संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग/चयन समिति द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नही किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नही किया जायेगा।

(2) चयन प्रक्रिया के प्रक्रम पर अथवा शासन/संचालक को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग/चयन समिति के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग/संचालक द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. **चयन (प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार) तथा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन/संचालक, आयोग/शासन के परामर्श से समय-समय पर, अवधारित करे।

(2) प्राचार्य के पद के लिये परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी तथा अन्य पदों (व्याख्याता एवं प्रधान पाठक मिडिल स्कूल) के लिये परीक्षा संचालक, लोक शिक्षण द्वारा आयोजित की जायेगी जो ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देश के अनुसार होगी जैसा कि शासन/संचालक द्वारा, आयोग/शासन के परामर्श से, समय-समय पर जारी किया जाये।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग/संचालक द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थी, जो महिला/निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके

नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग/संचालक द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय हो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग/संचालक से परामर्श पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(11) यदि शिक्षा कर्मी वर्ग–एक/व्याख्याता (पंचायत)/व्याख्याता (नगरीय निकाय), शिक्षा कर्मी वर्ग–दो/शिक्षक (पंचायत)/शिक्षक (नगरीय निकाय) एवं शिक्षा कर्मी वर्ग–तीन/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय), सीमित विभागीय परीक्षा के पश्चात् सेवा में स्थायी तौर पर नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी सेवायें, स्थायी पद में अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से मानी जायेगी तथा उनकी पूर्व की सेवायें निरंतर नहीं मानी जायेगी।

12. **आयोग/संचालक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) आयोग/संचालक, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग/संचालक द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, प्राचार्य के पद में नियुक्ति के लिये शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी। जहां संचालक, लोक शिक्षण नियुक्ति प्राधिकारी है, वहां चयन सूची की वैधता, इस प्रकार चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग/संचालनालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग/चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसे चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

**स्पष्टीकरण**– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, की वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान

चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर आयोग/संचालक द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित/अनुमोदित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किये जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।

13. **परिवीक्षा.**– (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो शासन द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि शासन की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नही है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः 1 (एक) वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

**स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति–** संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस

कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्यांशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं न्यूनतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.**– (1) जहां स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नियुक्ति प्राधिकारी है के मामले में, नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:-

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.**– (1) जहां स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नियुक्ति प्राधिकारी है के मामले में, आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि आयोग की राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नही है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिर्वतन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) जहां स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नियुक्ति प्राधिकारी है के मामले में, उन पदों की चयन सूची संचालक, लोक शिक्षण द्वारा अनुमोदित की जायेगी तथा उक्त चयन सूची पदोन्नति के लिये अंतिम सूची होगी।

(5) चयन सूची की वैधता अवधि को, इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर के बाद बढ़ाई नहीं जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग/संचालक उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस अधिकारी की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग/समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा.**– सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय--समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एस. डेहरे**, उप-सचिव.

## अनुसूची–एक

**(नियम 5 देखिये)**

| स. क्र. | सेवा में सम्मिलित पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | नियुक्ति प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | प्राचार्य हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूल | 1266 | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 + ग्रेड वेतन 5400 | स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन |
| 2. | व्याख्याता | 14537 | द्वितीय श्रेणी | 9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300 | संचालक, लोक शिक्षण |
| 3. | प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल | 9914 | द्वितीय श्रेणी | 9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300 | संचालक, लोक शिक्षण |

# अनुसूची–दो

**(नियम 6 देखिये)**

| स. क्र | सेवा का नाम | पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | | | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिये] | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये) | अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिये] | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | प्राचार्य हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूल | 1266 | 25% | 75% | — | 25% पदों को व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग–एक (व्याख्याता, पंचायत) से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे तथा 75% पदों को विभाग के नियमित व्याख्याता से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। |
| 2. | व्याख्याता | 14537 | 50% | 50% | — | शिक्षक/प्रधान पाठक (मिडिल स्कूल), जो स्नातकोत्तर परीक्षा एवं बी.एड /डी.एड/बी.टी.सी. अर्हता उत्तीर्ण हों, को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किए जायेंगे।<br><br>रिक्त पद का 50%, व्याख्याता (पंचायत) /शिक्षा कर्मी वर्ग–एक की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग को भेजा जायेगा। |
| 3. | प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल | 9914 | 50% | 50% | — | 1. पदोन्नति हेतु सभी पद– शिक्षक, जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के पद पर पदोन्नत किये जायेंगे।<br><br>2. सीधी भर्ती हेतु सभी पद– व्याख्याता (पंचायत) जो 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हो तथा शिक्षक (पंचायत) जो 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हो, की सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पद को भरा जायेगा। |

## अनुसूची–तीन

**(नियम 8 देखिये)**

| स. क्र | पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | उच्चतर आयु सीमा | शैक्षणिक अर्हता | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | प्राचार्य हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूल | 21 वर्ष | 45 वर्ष | (1) स्नातकोत्तर उपाधि (2) बी.एड/बी.एल.एड/ बीटीआई/डी.एड एवं (3) शासकीय/पंचायत हायर सेकेण्डरी स्कूल में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव | लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जायेगा |
| 2. | प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल | 21 वर्ष | 45 वर्ष | (1) स्नातक उपाधि एवं बी.एड/बी.एल. एड/ बीटीआई/डी.एड प्रशिक्षण (2) शिक्षक (पंचायत)/ व्याख्याता (पंचायत) के रूप में अधिकतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव | चयन के प्रयोजन के लिये संचालक द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी |

## अनुसूची—चार

**(नियम 14 एवं 15 देखिये)**

| स. क्र | पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिए हेतु अनुभव की न्यूनतम अवधि | पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | व्याख्याता | 5 वर्ष | प्राचार्य हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल | (1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित अन्य सदस्य — **अध्यक्ष.**<br>(2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग — **सदस्य.**<br>(3) संचालक, लोक शिक्षण — **सदस्य.**<br>(4) उप सचिव/संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा —**सदस्य—सचिव.** |
| 2. | शिक्षक/प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल | 5 वर्ष (प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल के पास शिक्षक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये) | व्याख्याता | (1) आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण या उसके द्वारा नामांकित सदस्य — **अध्यक्ष.**<br>(2) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण — **सदस्य.**<br>(3) उप संचालक, लोक शिक्षण —**सदस्य—सचिव.**<br>(4) प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय — **सदस्य.**<br>(5) जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर — **सदस्य.** |
| 3. | शिक्षक | 5 वर्ष | प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल | (1) आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण — **अध्यक्ष.**<br>(2) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण — **सदस्य.**<br>(3) उप संचालक, लोक शिक्षण —**सदस्य—सचिव.**<br>(4) प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय — **सदस्य.**<br>(5) जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर — **सदस्य** |

Raipur, the 22nd May 2014

NOTIFICATION

No. F 1-47/2008/20-1:- In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh School Education Gazetted Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Chhattisgarh School Education (Gazetted) (School Level) Services Recruitment and Promotion Rules, 2014.

   **(2)** These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

   **(a)** "**Appointing Authority**" in respect of the service means Government of Chhattisgarh and includes authority specified in column (6) of Schedule-I appended to these rules;

   **(b)** "**Commission**" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   **(c)** "**Committee**" means Promotion or Selection Committee as specified in Schedule-IV;

   **(d)** "**Director**" means Director, Public Instruction Chhattisgarh;

   **(e)** "**Examination**" means competitive examination held for recruitment under rule 11 of these rules;

   **(f)** "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

   **(g)** "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

   **(h)** "**Limited Departmental Examination**" means examination conducted under rule14 of these rules, in which persons employed as Teacher under the Department and Shiksha Karmi under the Panchayat and Urban bodies shall only be eligible;

   **(i)** "**Local Residents**" means local resident of State of Chhattisgarh as per the directions issued by the General Administartion Department of the Government, from time to time;

   **(j)** "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the Government, as amended from time to time vide notification no. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984;

   **(k)** "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

   **(l)** "**Scheduled Caste**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   **(m)** "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

**(n)** "**Services**" means the Chhattisgarh School Education (Gazetted) (School Level) Services:

**(o)** "**Shiksha Karmi Grade-I/Lecturer (Panchayat)/Lecturer (Urban Body), Shiksha Karmi Grade-II/Teacher (Panchayat)/Teacher (Urban Body) and Shiksha Karmi Grade-III/Assistant Teacher (Panchayat)/ Assistant Teacher (Urban Body)**" means the persons appointed for teaching in schools under the control of District Panchayat, Janpad Panchayat, Municipal Corporation, Municipalities or Nagar Panchayat;

**(p)** "**State**" means the State of Chhattisgarh.

**3. Scope and application.**-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

**4. Constitution of the service.**- The service shall consist of the following persons, namely:-

(a) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding, substantively or in an officiating capacity, the posts specified in Schedule I;

(b) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(c) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

**5. Classification, scale of pay etc.**- The classification of the service, the number of post included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale attached thereto in the service, either on a permanent or temporary basis.

**6. Method of recruitment.** - **(1)** Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

**(a)** By direct recruitment through selection (competitive examination/interview) and Limited Departmental Examination:

**(b)** By promotion of members of the service;

**(c)** By transfer of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

**(2)** The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub- rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule- II of the number of duty posts, as specified in Schedule-I.

**(3)** Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Commission/Government.

**(4)** Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, the he may after

consultation with the Commission or Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

**(5)** At the time of recruitment to the service the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and instructions issued, from time to time, under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in the service.** - All appointments to the service after commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Condition of eligibility for direct recruitment.** - In order to be eligible for direct recruitment/ selection/limited departmental examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

**(I) Age** — (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the 1st day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For woman candidates, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women's) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the work charged employees, contingency paid employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

**Explanation:-** The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in

establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service.

(e) A candidate, who is an "ex-servicemen" shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

**Explanation:-** The term "ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service:—

(1) Ex- servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged of-

(a) completion of short term engagement;

(b) on fulfilling the conditions of enrollment.

(3) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);

(4) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(5) Ex-servicemen invalided out of service;

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holders young candidates;

(i) The general upper age limit shall not be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years, but in no case their age should exceed 38 years;

**NOTE**:- (1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concession mentioned in rule 8(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limit shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the direction issued by General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

**(II) Educational qualifications and experience** — The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for the service as shown in Schedule III.

**(III) Fees- (a)** The candidate must pay the fees prescribed by the Commission/Director.

**(b)** The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of Medical Board before medical test.

**9. Disqualification.** – (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission/Director disqualified for selection.

(2) Any male candidate, who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default, which can hinder the fulfillment of duty of any service or post, in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate, who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more than two children are born, shall not be disqualified from any service or post.

10. **Commission/Director's decision about the eligibility of the candidates shall be final.** -(i) The decision of the Commission/Director as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission/Selection Committee for examination/interview, shall not be allowed to appear in the examination or interview.

(ii) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government/Director, if it comes to the notice of Commission/Selection Committee that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission/Director.

11. **Direct recruitment by selection (competitive examination/ interview) and limited departmental examination.-** (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government/Director may, in consultation with the Commission/Government from time to time, determine.

(2) The examination for the post of Principal shall be conducted by Public Service Commission and examination for other posts (Lecturers and Head Master (Middle School) shall be conducted by the Director, Public Instruction, as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government/Director, in consulataion with the Commission/ Government, from time to time.

(3) Selection of the candidates for the service shall be made in such manner as the Commission/Director may determine.

(4) At the time of recruitment in the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under the said Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent posts reserved for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment wise.

(6) In addition to above, the post for persons with disability/ ex-servicemen shall be reserved in accordance with the provision of Act/Rules/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) At the time of filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above, the candidates who may be women/ persons with disablility/ex-servicemen and who are selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) who are declared eligible for appointment by the Commission/Director keeping in view their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7), as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and the Government is of opinion that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) having the said experience may not be available in sufficient number, the Governmant may in consultation with the Commission/Director relax the condition of experience for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(11) In case, Shiksha Karmi Class-I/Lecturer (Panchayat)/Lecturer (Urban Body), Shiksha Karmi Class – II/ Teacher (Panchayat)/Teacher (Urban Body), Shiksha karmi Class – III / Assistant Teacher ( Panchayat)/ Assistant Teacher (Urban Body) are appointed permanently in the service after their limited departmental examination, then their service shall be considered continous from the date of their joining on the permanent post and their past services shall not be considered as continous.

12. **List of candidates recommended by the Commission/Director** – (1) The Commission/Director shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission/Director for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, persons with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment in the post of Principal shall be one year from the date of sending the list to the Government. Where Appointing Authority is Director, Public Instruction, validity of select list shall be one year from the date of issue of such select list.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's/Directorate's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission/Selection Committee for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant

posts shall be included. The validity of the list shall be for one and half year from the date of issue of such select list.

**Explanation-** While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended/approved by the Commission/Director for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, shall recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) The Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list shall automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

**13. Probation.-** (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) If the work is found unsatisfactory then the period of probation can be extended by the Government for a period upto a maximum of one year.

(3)During the period of probation or extended probation period or at the end of probation period, if the Government is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer may be terminated.

**14. Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for the purpose of constitution of the committee, provision of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1(one) year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the provision mentioned in sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) **Certification by the Appointing Authority**- Appointing Authority shall endorse on the promotion order, to be issued by him a certificate to the effect, that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

**15. Conditions regarding eligibility for promotion - (1)** Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of service, (whether officiating or substantive), on the posts from which promotion is to be made, as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

**Explanation - Method of computation for eligibility for promotion** - The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year, in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Government servants in Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department of Government from time to time shall be applicable for promotion.

**16. Preparation of list of suitable candidates.** - (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. In addition this a reserve list shall be prepared, which shall consist one and minimum 25% in each category, to fill the unexpected vacancies during the said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

**17. Consultation with the Commission** - (1) In cases where the Appointing Authority is School Education Department, Government of Chhattisgarh, the list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to the Commission by the Government along with following documents :-

(i) the records of all persons included in the list.

(ii) the records of all those persons mentioned in column (2) of Schedule-IV, who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) the recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any member of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) the remarks of the Government on the recommendations of the Committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

**18. Select List.**- (1) In cases where the Appointing Authority is School Education Department, Government of Chhattisgarh, the Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the Committee, if in the opinion of the Commission that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any, in its opinion that is just and proper, shall approve the list finally.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of the civil services as mentioned in column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) In cases where the Appointing Authority is School Education Department, Government of Chhattisgarh, select list of such posts shall be approved by the Director, Public Instruction and the said select list shall be final list for promotion.

(5) The validity of select list shall not be extended beyond 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission/Director, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

**19. Appointment to the service from the select list.** - (i) The appointments of the officers including in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in the select list.

(ii)It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission/Commitee before appointment of an officer whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which is in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

**20. Probation.** Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

**21. Interpretation.**- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

**22. Relaxation.**-Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply, in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

**23. Repeal and saving.**- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of such matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. S. DEHARE, Deputy Secretary.

# SCHEDULE-I

**(See Rule 5)**

| S. No. | Name of the Post included in the service | Number of Posts | Classification | Pay Scale | Appointing authority |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Principal High School/ Higher Secondary School | 1266 | Class-II | 15600-39100 + Grade pay 5400 | School Education Department, Government of Chhattisgarh. |
| 2 | Lecturer | 14537 | Class-II | 9300-34800 + Grade pay 4300 | Director, Public Instruction |
| 3 | Head Master, Middle school | 9914 | Class-II | 9300-34800 + Grade pay 4300 | Director, Public Instruction |

## SCHEDULE–II

**(See Rule 6)**

| S. No. | Name of Service | Total Number of Posts | Percentage of Posts to be filled in | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | By Direct recruitment, [See Rule 6 (1) (a)] | By Promotion of member of the service [See Rule 6 (1) (b)] | By Transfer of persons from other service [See Rule 6 (1) (c)] | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Principal High School/ Higher Secondary School | 1266 | 25% | 75% | - | 25% posts shall be filled from Lecturer/ Shiksha Karmi Grade-I (Lecturer (Panchayat)) through limited departmental examination and 75% posts shall be filled by promotion from regular Lecturer by the department. |
| 2 | Lecturer | 14537 | 50% | 50% | - | Teacher/ Head Master (Middle School) who have passed post graduation examination and qualified B.Ed./ D.Ed/ B.T.C shall be promoted to the post of Lecturer. **50%** of the vacant post shall be send to the Panchayat & Rural Development and Urban Administration & Development Department for filling by direct recruitment of Lecturer (Panchayat)/ Shiksha Karmi Grade-1 |
| 3 | Head Master, Middle school | 9914 | 50% | 50% | - | 1. All post for promotion- Teacher who has completed 5 years of service shall be promoted to the post of Head Master, Middle School. 2. All post for direct recruitment- Post shall be filled by limited departmental examination of Lecturer (Panchayat) having 5 years teaching experience and Teacher (Panchayat) having 8 years teaching experience. |

## SCHEDULE–III

**(See Rule 8)**

| S. No. | Name of the Post | Minimum Age Limit | Maximum Age Limit | Educational Qualification | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Principal High School/ Higher Secondary School | 21 years | 45 years | (1) Post Graduation degree (2) B.Ed/ B.L.D/ BTI/D.Ed., and (3) 10years teaching experience in Government/ Panchayat Higher Secondary School. | Selection shall be made by Public Service Commission |
| 2 | Head Master, Middle school | 21 years | 45 years | (1) Graduate degree and B.Ed/ B.L.D/ BTI/D.Ed training (2) Minimum 5 years teaching experience as Teacher (Panchayat) /Lecturer ( Panchayat) | Selection Committee shall be constituted by Director for the purpose of selection |

## SCHEDULE-IV

**(See Rule 14 and 15)**

| S. No. | Name of the Post from which promotion is to be made | Minimum period of experience for eligibility of promotion | Name of the post in which promotion is to be made | Name of members of the Departmental Promotion Commitee |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Lecturer | 5 years | Principal High School/ Higher Secondary School | (1) Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him – **Chairman.**<br>(2) Secretary, School Education Department – **Member.**<br>(3) Director, Public Instruction – **Member.**<br>(4) Deputy Secretary/ Joint Secretary, School Education –**Member-Secretary.** |
| 2 | Teacher/ Head Master, Middle School | 5 years (Head Master, Middle School must have 5 years experience as a Teacher | Lecturer | (1) Commissioner/ Director Public Instruction or member nominated by him – **Chairman.**<br>(2) Joint Director, Public Instruction - **Member.**<br>(3) Deputy Director, Public Instruction - **Member- Secretary.**<br>(4) Principal, Government Education College – **Member.**<br>(5) District Education Officer, Raipur - **Member** |
| 3 | Teacher | 5 years | Head Master, Middle School | (1) Commissioner/ Director Public Instruction – **Chairman.**<br>(2) Joint Director, Public Instruction - **Member.**<br>(3) Deputy Director, Public Instruction **Member, Secretary**<br>(4) Principal, Government Education College - **Member**<br>(5) District Education Officer, Raipur - **Member.** |

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.